

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भगवतीलाल

विपक्षी :- श्री खेमराज

किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 138 / 19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 13.08.2021</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>	

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भगवतीलाल पुत्र गुमानलाल भील निवासी मोतीखेडा तह. मावली खातेदार	358 / 1 359 / 1	0.4250 0.2346	बंजड बा.द्वि.	0.13 0.14
	<b>योग</b>	<b>किता 2</b>	<b>0.6596</b>	<b>-</b>	<b>0.27</b>
2	खेमराज लक्ष्मण कैलाश पिता शंकरलाल श्रीमती चम्पा पत्नी शंकरलाल भीणा हि.ब. नि. निमोद तह. सराडा खातेदार	358 मी. 359 मी.	0.5705 0.0891	बंजड बा.द्वि.	0.17 0.05
	<b>योग</b>	<b>किता 2</b>	<b>0.6596</b>	<b>-</b>	<b>0.22</b>

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO)मावली



## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री मयंक मनीष, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 138/19 (वाद)

### उनवान

1. श्री भगवतीलाल पिता गुमानलाल भील निवासी मोतीखेडा तह. मावली।

.....वादी

### बनाम

1. श्री खेमराज पिता शंकरलाल मीणा निवासी निमोदा तह. सराडा।
2. श्री लक्ष्मण पिता शंकरलाल मीणा निवासी निमोदा तह. सराडा।
3. श्री कैलाश पिता शंकरलाल मीणा निवासी निमोदा तह. सराडा।
4. श्रीमती चम्पा पत्नी शंकरलाल मीणा निवासी निमोदा तह. सराडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.08.2021 को मयंक मनीष, I.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भगवतीलाल पुत्र गुमानलाल भील निवासी मोतीखेडा तह. मावली खातेदार	358/1	0.4250	बंजड	0.13
		359/1	0.2346	बा.द्वि.	0.14
	<b>योग</b>	<b>किता 2</b>	<b>0.6596</b>	<b>-</b>	<b>0.27</b>
2	खेमराज लक्ष्मण कैलाश पिता शंकरलाल श्रीमती चम्पा पत्नी शंकरलाल मीणा हि.ब. नि. निमोद तह. सराडा खातेदार	358 मी.	0.5705	बंजड	0.17
		359 मी.	0.0891	बा.द्वि.	0.05
	<b>योग</b>	<b>किता 2</b>	<b>0.6596</b>	<b>-</b>	<b>0.22</b>

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 13.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मयंक मनीष I.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO)मावली